पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2019 ई० (श्रावण 19, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	399–402	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	937–978	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–02

अधिसूचना

प्रकीर्ण

18 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 1320/XXXI(2)/2019-01(संवि0)/2009–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तरांचल सचिवालय वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–4 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् ;

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(1) नियुक्ति प्राधिकारी सचिवालय में दिनांक 23.12.2001 के बाद से 31.12.2005 तक सम्बद्ध विभिन्न अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों एवं निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का संविलियन, निर्धारित मानकों, जैसा कि वह विहित करें, के अन्तर्गत आदेश द्वारा करेंगे।	4(1) नियुक्ति प्राधिकारी सचिवालय में दिनांक 31.12.2005 से पूर्व विभिन्न विभागों/निगमों के सम्बद्ध (तत्समय मूल विभागों में अस्थायी) ऐसे कार्मिक, जो विनियमितीकरण नियमावली, 2011 एवं विनियमितीकरण नियमावली, 2013 से अपने विभागों में विनियमित हुए हैं। एवं दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2010 तक विभिन्न विभागों/निगमों से उत्तराखण्ड सचिवालय में सम्बद्ध नियमित कार्मिकों का संविलियन निर्धारित मानकों जैसा कि वह विहित करें के अन्तर्गत आदेश द्वारा करेंगे। परन्तु यह कि विनियमितीकरण नियमावली, 2013 से आच्छादित/विनियमित जिन कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा, उनका संविलियन उक्त विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या–616/एस0बी0/2018 श्री नरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

आज्ञा से,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.1320/XXXI(2)/2019-01(Mer.)/2009,** dated Dehradun, July 18, 2019 for general information:

No. 1320/XXXI(2)/2019/2019-01(Mer.)/2009
Dated Dehradun, July *18, 2019*

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 1320/XXXI(2)/2019/2019-01(Mer.)/2009--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttaranchal Secretariat Merger On the Posts of Personal Secretary, Lower Division Assistant, Assistant Accountant, Typist, Attendant (Anusevak) Rules, 2002 :-

The Uttarakhand Secretariat Merger On the Posts of Personal Secretary, Lower Division Assistant, Assistant Accountant, Typist, Attendant (Anusevak) (Amendment) Rules, 2019

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Secretariat Merger On the Posts of Personal Secretary, Lower Division Assistant, Assistant Accountant, Typist, Attendant (Anusevak) (Amendment) Rules, 2019

(2) It Shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the Uttaranchal Secretariat Merger On the Posts of Personal Secretary, Lower Division Assistant, Assistant Accountant, Typist, Attendant (Anusevak) Rules, 2002, for the existing sub-rule (1) of rule 4 set out in column-1 below the sub rule set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1	Column-2
Existing rule	**rules hereby substituted**
4(1): Appointing Authority, by order shall merge the employees of different subordinate government offices and corporations and autonomous institutions attached in Secretariat, substantively appointed after 23.12.2001 till 31.12.2005 under determined criteria, as he may prescribe.	4(1): Appointing Authority, by order shall merge the concerned regular employee from different department/ corporation from 01.01.2006 till 31.12.2010 in Uttarakhand Secretariat and such attached employees of different department/corporation (temporary at the time in principal department regularised in their department by regularization rules, 2011 and regularization rules, 2013 attached in Secretariat before 31.12.2005 under determined criteria, as he may prescribe: Provided that employees governed/regularized by regularization rules, 2013, who are to be merged, their merger shall be remain subject to the final decision passed in Writ Petition No. 616/SB/2018 Sri Narendra Singh V/s State Government and others filed in Hon'ble High Court, Uttarakhand, against said Regularization Rules, 2013.

By Order,

INDUDHAR BAURAI,
Secretary.

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय ज्ञाप

13 मई, 2019 ई0

संख्या 401/कौ0वि0सेवा0/19-90(प्रशि0)/2018 टी0सी0-शासनादेश संख्या-689/VIII/75(प्रशि0)/2005, दिनांक 16.04.2009 के द्वारा पीपीपी परियोजना हेतु गठित एस0एस0सी0 (State steering committee) के द्वारा ही केन्द्र पोषित परियोजना STRIVE के एस0एस0सी0 State steering committee का कार्य भी अतिरिक्त रूप में निर्वहन किया जायेगा।

उक्त कार्य हेतु कोई मानदेय देय नहीं होगा।

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव (प्रभारी)।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति

19 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 581/XLII-1/2019-06(06)2018-मा0 राज्यपाल महोदया उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में दी गयी व्यवस्थानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री दिनेश कुमार, सहायक कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को विश्वविद्यालय में रिक्त उप कुलसचिव (वेतनमान ₹ 56100-177500, लेवल-10) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. प्रोन्नति के पश्चात् श्री दिनेश कुमार को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री दिनेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पदोन्नत पद की योगदान आख्या कुलपति/कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते हुए उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/358-भाग 1-2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2019 ई० (श्रावण 19, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 22, 2019

No. 199/XIV/a-41/Admin.A/2016--Sri Puneet Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 02.07.2019 to 16.07.2019. in terms of G.O. No. 819/ XXXVII(7)34/2010-11, dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

July 23, 2019

No. 200/XIV/19/Admin.A/2008--Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 09.07.2019 to 18.07.2019.

NOTIFICATION

July 24, 2019

No. 201/XIV-95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 04 days *w.e.f.* 08.07.2019 to 11.07.2019.

NOTIFICATION

July 25, 2019

No. 202/XIV/a-40/Admin.A/2015--Sri Kapil Kumar Tyagi, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 43 days *w.e.f.* 03.06.2019 to 15.07.2019.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

June 19, 2019

No. 356 (7)/I-03-2018--Certified that the charge of the office of Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh is handed over on proceeding to avail Earned leave *w.e.f.* 19.06.2019 to 29.06.2019 with permission to suffix 30.06.2019 as Sunday holiday sanctioned *vide* Hon'ble High Court's letter No. 4085/XIV-28/Admin.A, dated June 14, 2019, as hereinafter denoted, in the forenoon of June 19, 2019.

SUDHIR TOMAR,

Chief Judicial Magistrate,

Pithoragarh.

Counter-Signed

District Judge,

Pithoragarh.

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

07 जून, 2019 ई0

पत्रांक 83/2019–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 10.06.2019 से 19.06.2019 तक दिनांक 08.06.2019 द्वितीय शनिवार व दिनांक 09.06.2019 रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए 10 (दस) दिन के अर्जित अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अर्जित अवकाश प्रार्थना पत्र के स्वीकृत होने की प्रत्याक्षा में मेरे द्वारा आज दिनांक 07.06.2019 के न्यायालय कार्य उपरान्त से सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) गंगोलीहाट का पदभार छोड़ा गया।

अनिल कुमार कोरी,

सिविल जज (जू0डि0)/

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

गंगोलीहाट।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 (अस्पष्ट)

जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

20 जून, 2019 ई0

पत्रांक 363/2019–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ का कार्यभार दिनांक 10.06.2019 से 19.06.2019 तक (दिनांक 08.06.2019 एवम् दिनांक 09.06.2019 द्वितीय शनिवार व रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए) का अर्जित अवकाश माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या–3978/XIV/a-45/Admin.A/2017, Dated June 11, 2019 की स्वीकृति के फलस्वरूप उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 20.06.2019 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

अनिल कुमार कोरी,
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

29 जुलाई, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 2115/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti,/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 568/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–25; 569/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–27; 570/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–30; 571/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–31; 572/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON–.06 एवं 573/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR–11 समदिनांकित 23 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः शासन की अधिसूचना संख्या 43 दिनांक 31 मई, 2019 में संशोधन किए जाने; रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनका पूर्ववर्ती वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक संकलित आवर्त है, को तिमाही जुलाई–सितम्बर, 2019 से सम्बन्धित प्ररूप जीएसटीआर–1 दाखिल करने की समयावधि दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक किए जाने; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया जारी किए जाने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 जारी किए जाने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2019 जारी किए जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की करमुक्त आपूर्ति करते हैं, को ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति कर भुगतान किए गये राज्य कर के रिफण्ड के लिए जाने की हकदार होना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

23 जुलाई, 2019 ई0

अधिसूचना

संख्या 568/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-25–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) संशोधन नियम, 2018 के क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित उपबन्ध के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 431/2019/03(120)/XXVII(8)/2019/CT-22, दिनांक 31 मई, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथाः

उक्त अधिसूचना में "21 जून, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "21 अगस्त, 2019 शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगें

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 568/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-25**, dated July 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

July 23, 2019

No. 568/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-25--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), and the provision mentioned at serial no. 1(2) of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourteenth amendment) Rules, 2018, the Governor, on the recommendations of the Council is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, finance Section-8, No 431/2019/03/(120)/XXVII(8)/2019/CT-22, date 31st May, 2019, namely:

In the said notification, for the figures, letters and wordrs "21st day of June, 2019" the figures, letters and word "21st day of August, 2019" shall be substituted.

अधिसूचना

23 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 569/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-27–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक पूर्ति के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक पूर्ति के ब्यौरे, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन ऐसे प्ररूप जीएसटीआर–1 में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत करने है, अर्थात् :–

सारणी

क्रम सं0	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते है	प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि
1	2	3
1.	जुलाई–सितम्बर, 2019	31 अक्टूबर, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 की तिमाही के लिए ब्यौरे या विवरणी, यथास्थिति, देने की समयसीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 569/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-27**, dated July 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

July 23, 2019

No. 569/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-27--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnish the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017,effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :--

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
1	2	3
1.	July-September, 2019	31st October, 2019

3- The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2019 to September, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

अधिसूचना

23 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 570/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-30–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप–नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

3. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप–नियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 570/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-30**, dated July 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

July 23, 2019

No. 570/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-30--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), (hereinafter referred to as "the said Act"), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the persons registered under section 24 of the said Act read with rule 14 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as "the said Rules"), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in **FORM GSTR-9** under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules.

3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules.

अधिसूचना

23 जुलाई, 2019 ई०

संख्या 571 / 2019 / 10(120) / XXVII(8)/2019/CT-31—राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 है। (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये दिनांक 28 जून, 2019 से प्रवृत्त होंगे।
नये नियम का प्रतिस्थापन	2.	उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 10.क **बैंक खाते के ब्यौरों का दिया जाना** – सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाने और माल और सेवा कर पहचान संख्या समनुदेशित किए जाने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न जिसे, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, यथाशक्य, शीघ्र किंतु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी का दिया जाना अपेक्षित है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के ब्यौरे के सबंध में जानकारी या कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा।।
नियम 21 में संशोधन	3.	उक्त नियमों के नियम 21 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- (घ) नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन करता है।
नये नियम का प्रतिस्थापन	4.	उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 32क. उन दशाओं में पूर्ति का मूल्य जहां केरल प्रलय उपकर लागू होता है –ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य को, जिन पर केरल वित्त विधेयक, 2019 के खंड 14 के अधीन केरल प्रलय उपकर का उद्ग्रहण किया गया है, अधिनियम की धारा 15 के निबंधनों में अवधारित किया गया मूल्य समझा जाएगा किंतु उसे उक्त उपकर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
नियम 46 में संशोधन	5.	उक्त नियमों के नियम 46 में पांचवें परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कर बीजक का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।

नियम 49 में संशोधन

6. उक्त नियमों के नियम 49 में तीसरे परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि पूर्ति बीजक का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा ।

नियम 66 में संशोधन

7. उक्त नियमों के नियम 66 के उपनियम (2) में,-

(क) "प्रत्येक पूर्तिकार को और समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में प्ररूप जीएसटीआर-4क" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कटौती की गई है, सामान्य पोर्टल पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "की सम्यक् तारीख" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) "सामान्य पोर्टल पर" शब्दों के पश्चात् "विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक नकद खाते में से कटौती की गई कर की रकम का दावा करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नियम 67 में संशोधन

8. उक्त नियमों के नियम 67 के उपनियम (2) में,-

(क) "प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "की देय तारीख" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) "समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में" शब्दों के पश्चात् "विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक नकद खाते में संगृहीत कर की रकम का दावा करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नियम 87 में संशोधन

9. उक्त नियमों के नियम 87 में,-

(क) उपनियम (2) के दूसरे परतुंक का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (9) में,-

(i) "प्ररूप जीएसटीआर-02 में" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ii) "नियम 87 के उपबंधों के अनुसार" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (12) के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(13) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 में एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर के लिए इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को अंतरित कर सकेगा ।

नियम 91 में संशोधन

10. उक्त नियमों के नियम 91 के उपनियम (3) में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, "संदाय सूचना" शब्दों के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

नियम 92 में संशोधन

11. उक्त नियमों के नियम 92 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख,-

(क) उपनियम (4) में, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, "संदाय सूचना" शब्दों के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (4) में, "जो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06.........इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वहां वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्रतिदाय की रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे समेकित संदाय सूचना के आधार पर आवेदक की रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और प्रतिदाय आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक रूप से जमा करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (4) के अधीन जारी समेकित संदाय सलाह के आधार पर प्रतिदाय का संवितरण करेगी ।";

(घ) उपनियम (5) में, "सूचना" शब्द के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

नियम 94 में संशोधन

12. उक्त नियमों के नियम 94 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, "संदाय सूचना" शब्दों के स्थान पर, "संदाय आदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

नये नियम का प्रतिस्थापन

13. उक्त नियमों के नियम 95 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"95क. किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को कर मुक्त आपूर्ति करने वाले खुदरा आउटलेट को करों का प्रतिदाय-

(1) किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को, जो भारत से जा रहा है, देशी माल की आपूर्ति करने वाली खुदरा आउटलेट ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर इसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय की दावा करने का पात्र होगा ।

(2) आवक आपूर्तियों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला खुदरा आउटलेट, यथास्थिति, मासिक या तिमाही आधार पर, साधारण पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित प्रसुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-10ख** में प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन करेगा ।

(3) यथास्थिति, मास या तिमाही के दौरान की गई आपूर्ति के लिए जारी बीजकों की स्वप्रमाणित संकलित जानकारी, संबंधित क्रय बीजक के साथ प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय तब उपलब्ध होगा, यदि-

(क) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कर बीजक के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से माल के आवक आपूर्ति प्राप्त की गई थी ;

(ख) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कोई कर प्रभार्य किए बिना विदेशी विनिमय में किसी बाहर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को उक्त माल की आपूर्ति की गई थी ;

(ग) आवक आपूर्ति के लिए कर बीजक पर खुदरा आउटलेट का नाम और माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख है ; और

(घ) ऐसे अन्य निर्बन्धन और शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का समाधान कर दिया गया हो ।

(5) इस नियम के अधीन स्वीकृति और संदाय के लिए नियम 92 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "बाहर जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पर्यटक" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है और जो भारत में वैध अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत में प्रवेश करता है ।

नियम 128 में संशोधन

14. उक्त नियमों के नियम 128 में,–

(क) उपनियम (1) में "लिखित आवेदन की प्राप्ति पर" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी विस्तारित अवधि जो लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के अधिक की हो, जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में,–

i. "स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनो" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे आवेदन जो स्थायी समिति द्वारा अग्रेषित किए जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

ii. "राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा" शब्दों के पश्चात् "लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर या प्राधिकारी द्वारा यथा अनुज्ञात लिखित में लेखबद्ध कारणों से एक मास से अनधिक अवधि के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नियम 129 में संशोधन

15. उक्त नियम के नियम 129 के उपनियम 6 में "प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर" वाक्यांश में प्रयुक्त "तीन" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखा जाएगा ।

नियम 132 में संशोधन

16. उक्त नियम के नियम 132 के उपनियम (1) में "मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक" शब्द से पहले "प्राधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

नियम 133 में संशोधन

17. उक्त नियम के नियम 133 में,–

(क) उपनियम (1) में "तीन" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(2क) प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन अवधारण प्रक्रिया के दौरान नियम 129 के उपनियम (6) के अधीन मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक से प्रस्तुत रिपोर्ट पर यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकेगा।'';

(ग) उपनियम (3) के खंड (ग) में "उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम को," शब्दों के पश्चात् "उच्चतर धनराशि के संग्रहण की तारीख से ऐसी धनराशि के जमा करने की तारीख तक अट्ठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(घ) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) (क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 171 के उपबंधों का, माल या सेवा या दोनों के संबंध में उन के सिवाय, जो उक्त रिपोर्ट में आच्छादित किए गए हैं, उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य माल या सेवाओं या दोनों के संबद्ध अन्वेषण या जांच कराने के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक को निदेश दे सकेगा ।

(ख) खंड (क) के अधीन अन्वेषण या जांच नई अन्वेषण या जांच समझी जाएगी और नियम 129 के सभी उपबंधों ऐसे अन्वेषण या जांच पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम 138 में संशोधन

18. उक्त नियम के नियम 138 के उपनियम (10) के, --

(क) सारणी में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 4 के सामने "ओवर डायमेंशनल कार्गो" शब्दों के पश्चात् "या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) द्वितीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

परंतु यह और भी कि ई-वे बिल की वैधता इसके अवसान के समय से आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकेगी।

नियम 138(ङ) में संशोधन

उक्त नियम के नियम 138ङ के उपनियम (क) में,-

(क) ''धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति'' शब्दों के पश्चात् "या उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2 दिनांक 09 अप्रैल, 2019, के लाभ का उपभोग करने वाला'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ख) "विवरणियां" शब्द के स्थान पर "प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण" शब्द, अक्षर और अंक को रखे जाएंगे।

(ग) "कर अवधियों" शब्दों के स्थान पर "तिमाही" शब्द रखा जाएगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-01में संशोधन

20. उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** प्ररुप की "अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से संलग्न सारणी" क्रम संख्या 4 के सामने शीर्षक में "बैंक लेखा संबंधित प्रमाण" शब्दों के पश्चात् "जहां ऐसे लेखा के ब्यौरे दिए जाते हैं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

प्ररुप जीएसटी आरईजी–07 में संशोधन

21. उक्त नियम के प्ररुप जीएसटी आरईजी–07 के, भाग ख में प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"12A. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)	

बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या															
खाते का प्रकार							आईएफएससी								
बैंक का नाम															
शाखा का पता	स्वत: भर जाएगा														

टिप्पण : और बैंक खाते जोड़ें

प्ररुप जीएसटी आरईजी–12 में संशोधन

22. उक्त नियम प्ररुप जीएसटी आरईजी–12 में, भाग ख में 12 प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"13. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)	

बैंक खाते का ब्यौरा 1

खाता संख्या															
खाते का प्रकार							आईएफएससी								
बैंक का नाम															
शाखा का पात	स्वत:-पापुलेटड (संपादन रीति में)														

टिप्पण : और बैंक खाते जोड़ें''।

प्ररूप जीएसटीआर–4 में संशोधन

23. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:–

"प्ररुप जीएसटीआर-4

[नियम 62 देखिए]

समाधान उद्ग्रहण या अधिसूचना सं. 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2 दिनांक 09 अप्रैल, 2019 का लाभ उठाने के लिए विकल्प लेने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी

वर्ष				

1.		जीएसटीआइएन	
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	<स्वत:>
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई है	<स्वत:>
3.	(क)	पूर्व के वित्त वर्ष में संकलित आवर्त (स्वत: भर जाएगा)	
	(ख)	एआरएन	<स्वत:>(दाखिल करने के पश्चात्)>
	(ग)	एआरएन की तारीख	<स्वत:>(दाखिल करने के पश्चात्)>

4. ऐसे आवक पूर्ति जिनके अंतर्गत वे पूर्तियां भी हैं जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार पर किया जाना है।

पूर्तिकार का जीएसटिन	बीजक ब्यौरे			दर	करयोग्य मूल्य	कर की रकम				पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
	स.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर	सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4क. आवक पूर्ति जो किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से ग्रहण किया गया है)उन पूर्तियों जिन पर प्रतिलोम प्रभार लागू होता है को छोड़कर(										
4ख. आवक पूर्ति जो किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से ग्रहण किया गया है)प्रतिलोम प्रभार लागू होता है(										
4ग. आवक पूर्ति जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से ग्रहण किया गया है										
4घ. आयात सेवा										

5. प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 के अनुसार स्वत:निर्धारित उत्तरदायित्व का संक्षिप्त विवरण (संशोधन आदि के कारण अग्रिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और कोई अन्य समायोजन)

क्रम सं.	विवरण	मूल्य	कर की रकम			
			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति)छूट प्राप्त प्रदाय सहित)	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
2.	ऐसा आवक पूर्ति जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है जिसके अंतर्गत	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

	आयात सेवाएं भी हैं।					
3.	कर संदत्त (1+2)	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
4.	ब्याज संदत्त, यदि कोई है	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

6. ऐसे जावक पूर्ति/आवक पूर्ति जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है के कर दर वार ब्यौरे

(संशोधन आदि के कारण अग्रिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और अन्य समायोजन)

क्रम सं.	पूर्ति का प्रकार (जावक/आवक)	कर की दर(%)	मूल्य	कर की रकम			
				एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
				<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
				<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
				<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
		कुल		<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

7. टीडीएस/टीसीएस प्राप्त

कटौतीकर्ता/ई-वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन	सकल मूल्य	रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4

8. संदेय और संदत्त कर, ब्याज, विलम्ब शुल्क

क्र. स.	कर का प्रकार	संदेय कर की रकम (सारणी 6 के अनुसार)	पहले से संदत्त कर रकम (प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 के माध्यम से)	संदेय कर की अतिशेष रकम, यदि कोई हो (3-4)	संदेय ब्याज	संदत्त ब्याज	संदेय विलम्ब शुल्क	संदत्त विलम्ब शुल्क

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				
2.	केन्द्रीय कर	<स्वतः >	<स्वतः>	<स्वतः>				
3.	राज्य कर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				
4.	उपकर	<स्वतः >	<स्वतः>	<स्वतः>				

9. इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही से दावाकृत प्रतिदाय

वर्णन	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं.
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य कर						
(ग) उपकर						
बैंक खाते के ब्यौरे (ड्रॉप डाउन)						

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख : पदाभिधान/प्रास्थिति

अनुदेश :-

1. प्रयुक्त निबंधन :
   (क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान सं.
   (ख) टीडीएस : स्रोत पर कर कटौती
   (ग) टीसीएस : स्रोत पर संग्रहित करें
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4** में ब्यौरे, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आने वाले अप्रैल के तीसवें दिन तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।
3. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए करदाता का संकलित आवर्त स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा ।
4. समेकित आधार पर आवक प्रदायों, दर-वार, जीएसटीआईएन-वार से सम्बन्धित जानकारी समाविष्ट करने के लिए सारणी 4 :
   (i) आवक पूर्तियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से उन आवक पूर्तियों, जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4क ;
   (ii) ऐसा रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से, जिसको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है, आवक पूर्ति को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ख ;
   (iii) अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से पूर्तियों को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ग ;
   (iv) सेवाओं के आयात को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4घ ;

5. ऐसे जावक पूर्तियों, (जिनके अन्तर्गत छूट समाविष्ट पूर्ति भी हैं) और ऐसे आवक पूर्तियों, जिनको वित्तीय वर्ष के दौरान प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में पूर्व में यथाघोषित सेवाओं के आयात सहित प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, के ब्यौरे (और उनके समायोजक) समाविष्ट करने के लिए सारणी 5 ।

6. कटौतीकर्ता/ई-वाणिज्य प्रचालक से समाविष्ट स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संग्रहीत कर प्रत्यय सारणी 7 में स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा।"

प्ररूप जीएसटीआर-9 में संशोधन

24. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 में,-

(क) सारणी के क्रम सं. 8 के स्तंभ 2 की पंक्ति ग में, "सितम्बर, 2018 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी के भाग 5 के स्तंभ 2 के शीर्षक में, "चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2017-18" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) अनुदेशों में क्रम सं. 3 का लोप किया जाएगा ;

(घ) अनुदेशों के क्रम सं. 4 में, "इस भाग में घोषित" के साथ समाप्त होने वाले वाक्य के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"यह ध्यान दिया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त दायित्व प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित नहीं किया गया है और प्ररूप जीएसटीआर-3ख इस विवरणी में घोषित किया जाए । तथापि, करदाता इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का दावा नहीं कर सकते ।";

(ङ) अनुदेशों के क्रम सं. 5 की सारणी के स्तंभ 2 में,-

(i) क्रम सं. 8क के सामने "उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में तत्स्थानी पूर्तिकार" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"यह ध्यान दिए जाए कि 1 मई, 2019 तक सृजित प्ररूप जीएसटीआर-2क को सारणी में स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा ।";

(ii) क्रम सं. 8ग के सामने, "सितम्बर, 2018 तक" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019" तक शब्द रखे जाएंगे ;

(च) अनुदेशों के क्रम सं. 7 में,-

(i) "चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर मास या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख (उदाहरणार्थ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल से सितम्बर, 2018 तक घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), जो भी पहले हो" शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) सारणी के स्तंभ 2 में,-

(क) क्रम सं. 10 और क्रम सं. 11 के सामने, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च, 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं. 12 के सामने, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं. 13 के सामने, चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07 में संशोधन

25. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07** के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09

[नियम 87(13 देखिए)]

इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में रकम का अंतरण

1.	जीएसटीआईएन	
2.	(क) विधिक नाम	<स्वतः>
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो	<स्वतः>
3.	एआरएन	
4.	एआरएन की तारीख	

5. एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में अंतरित की जाने वाली रकम के ब्यौरे

(रकम रुपए में)

निम्नलिखित से अंतरित की जाने वाली रकम			निम्नलिखित में अंतरित की जाने वाली रकम		
मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उपलब्ध रकम	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	अंतरित रकम
1	2	3	4	5	6
<केन्द्रीय कर,	कर		<केन्द्रीय कर,	कर	
राज्य कर,	ब्याज		राज्य कर,	ब्याज	

एकीकृत कर, उपकर>	शास्ति		एकीकृत कर, उपकर>	शास्ति	
	फीस			फीस	
	अन्य			अन्य	
	योग			योग	

6. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख : पदाभिधान/प्रास्थिति

अनुदेश -

1. मुख्य शीर्ष–एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर और उपकर के प्रति निर्देश है ।
2. लघु शीर्ष–कर, ब्याज, शास्ति, फीस और अन्य के प्रति निर्देश है ।
3. यदि रकम एक मुख्य/लघु शीर्ष से किसी अन्य मुख्य/लघु शीर्ष में अंतरित की जानी आशयित है तो इस प्ररूप को भरें । रकम के अंतरण के लिए लघु शीर्ष वैसा ही या भिन्न हो सकता है ।
4. एक लघु शीर्ष से रकम को उसी मुख्य शीर्ष के अधीन किसी अन्य लघु शीर्ष में भी अंतरित किया जा सकता है ।
5. शीर्षक से कोई रकम केवल तभी अंतरित की जा सकती है यदि अंतरण के समय उस शीर्षक के अधीन अतिशेष उपलब्ध है ।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संशोधन

26. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी,-
(क) तीसरी लाइन में "सलाह", शब्द के स्थान पर "आदेश" शब्द रखे जाएंगे;
(ख) चौथी लाइन में "सलाह", शब्द के स्थान पर "आदेश" शब्द रखे जाएंगे;
(ग) छठी लाइन में "सेवा में <केन्द्रीय> पीएओ/ खजाना/आरबीआई/बैंक", शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "सेवा में पीएओ, सीबीआईसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 में संशोधन

27. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 ख

[नियम95 क देखें]

शुल्क मुक्त दुकानों/शुल्क संदत्त दुकानों (खुदरा केंद्रों) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआइएन:
2. नाम:
3. पता:
4. कर अवधि(मासिक/त्रैमासिक) : से <दिन/मास/वर्ष>तक <दिन/मास/वर्ष>
5. दावाकृत प्रतिदाय की रकम: <आईएनआर><शब्दों में>
6. प्राप्त मालों के आवक पूर्तियों और तत्स्थानी जावक पूर्तियों के ब्यौरे

पूर्तियों के ब्यौरे														
आवक पूर्ति											तत्स्थानी जावक पूर्ति			
पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे				दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				बीजक के ब्यौरे			
	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्यकर	उप कर	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	कराधेय मूल्य

7. जिसके लिए प्रतिदाय आवेदन किया गया है :

केन्द्रीय कर	राज्य कर	एकीकृत कर	उप कर	कुल
< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >

8. बैंक खाता के ब्यौरे:

i. बैंक खाता संख्या

ii. बैंक खाता प्रकार

iii. बैंक का नाम

iv. खाता धारक/संचालक का नाम

v. बैंक शाखा का पता

vi. आईएफएससी

vii. एमआईसीआर

9. घोषणा:

मैं ____________,___________(शुल्क मुक्त दुकान /शुल्क संदत्त दुकान–खुदरा केंद्र का नाम) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि,-

(i) इस आवेदन के साथ प्रस्तुत जावक प्रदायों के संबंध में किसी भी बीजकों के प्रति प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है ।

(ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है ।

तारीख:　　　　प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

स्थान: नाम:

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश:

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन, खुदरा केंद्रों द्वारा विवरणी के प्रस्तुत करने की आवृत्ति की निर्भरता पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर फाइल किया जाएगा ।
2. एक आवक पूर्ति बीजक के संबंध में केवल एक बार आवेदन किया जाएगा । इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आवक प्रदाय बीजकों के लिए प्रतिदाय का आवेदन केवल उन प्राप्त मालों के बीजकों के विरुद्ध किया जाए जो पूर्ण रूप से पूर्ति किए गए हैं ।
3. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित सभी बीजकों में पूर्तिकार का जीएसटीआईएन हो और संबंधित शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान (खुदरा केंद्र) का जीएसटीआईएन उन पर स्पष्ट रूप से चिन्हित हो ।
4. प्रतिदाय आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

(क) यह परिवचन कि सभी देशी मालों जिन पर प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान (खुदरा केंद्र) द्वारा प्राप्त किया गया है;

(ख) यह परिवचन कि देशी माल बाहर जा रहे पात्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बेचे गए हैं;

(ग) जिस अवधि के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है उसके लिए विवरणी की प्रति ।

प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03 में संशोधन

28. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:–

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03

[नियम 142(2) और 142 (3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किए गए संदाय की सूचना या कारण बताओं नोटिस (एससीएन) या विवरण के सापेक्ष किया गया संदाय ।

1.	जीएसटीआईएन		
2.	नाम	<स्वत:>	
3.	संदाय के हेतुक	<< ड्राप डाउन>> लेखा परीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है	<< ड्राप डाउन>>	
5.	कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे, यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर संदाय किया गया है	संदर्भ संख्या	जारी होने की तारीख

6.	वित्तीय वर्ष	
7.	ब्याज और शास्ति सहित संदाय के ब्यौरे, यदि लागू हो	(रकम रु. में)

क्र.सं.	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	कर/उप कर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद/प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. कारण, यदि कोई हों-   << पाठ>>

9. सत्यापन-

मैं..........सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

तारीख –".

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 571/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-31**, dated July 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

July 23, 2019

No. 571/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-31-In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 28th day of June, 2019.

Insertion of new Rule	2.	In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 10, the following rule shall be inserted, namely: - **10A. Furnishing of Bank Account Details-** After a certificate of registration in **FORM GST REG-06** has been made available on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number has been assigned, the registered person, except those who have been granted registration under rule 12 or, as the case may be rule 16, shall as soon as may be, but not later than forty five days from the date of grant of registration or the date on which the return required under section 39 is due to be furnished, whichever is earlier, furnish information with respect to details of bank account, or any other information, as may be required on the common portal in order to comply with any other provision.
Amendment in Rule 21	3.	In the said rules, in rule 21, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:- (d) violates the provision of rule 10A.
Insertion of new Rule	4.	In the said rules, after rule 32, with effect from the 1st day of July, 2019, the following rule shall be inserted, namely: - **32A. Value of supply in cases where Kerala Flood Cess is applicable-** The value of supply of goods or services or both on which Kerala Flood Cess is levied under clause 14 of the Kerala Finance Bill, 2019 shall be deemed to be the value determined in terms of section 15 of the Act, but shall not include the said cess.
Amendment in Rule 46	5.	In the said rules, in rule 46, after the fifth proviso, with effect from a date to be notified later, the following proviso shall be inserted, namely:- Provided also that the Government may, by notification, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein, specify that the tax invoice shall have Quick Response (QR) code.
Amendment in Rule 49	6.	In the said rules, in rule 49, after the third proviso, with effect from a date to be notified later, the following proviso shall be inserted, namely:- Provided also that the Government may, by notification, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein, specify that the bill of supply shall have Quick Response (QR) code.

Amendment in Rule 66	7.	In the said rules, in rule 66, in sub-rule (2)- (a) for the words, letters and figures "suppliers in Part C of FORM GSTR-2A and FORM- GSTR-4A" the word "deductees" shall be substituted; (b) the words "the due date of" shall be omitted; (c) after the words, letters and figures "FORM GSTR-7" the words "for claiming the amount of tax deducted in his electronic cash ledger after validation" shall be inserted.
Amendment in Rule 67	8.	In the said rules, in rule 67, in sub-rule (2)- (a) the words, letters and numbers "in Part C of FORM GSTR-2A" shall be omitted; (b) the words "the due date of" shall be omitted; (c) after the words, letters and figures "FORM GSTR-8" the words "for claiming the amount of tax collected in his electronic cash ledger after validation" shall be inserted.
Amendment in Rule 87	9.	In the said rules, in rule 87,- (a) in sub-rule (2), the second proviso shall be omitted. (b) in sub-rule (9),- (i) the words, letters and figures "in FORM GSTR-02" shall be omitted; (ii) the words and figures "in accordance with the provisions of rule 87" shall be omitted. (c) after sub-rule (12), with effect from a date to be notified later, the following sub-rule shall be inserted, namely:- (13) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax or cess in FORM GST PMT-09.
Amendment in Rule 91	10.	In the said rules, in rule 91, in sub-rule (3), with effect from a date to be notified later, at all the places where they occur, for the words "payment advice", the words "payment order" shall be substituted.

Amendment in Rule 92

11. In the said rules, in rule 92, with effect from a date to be notified later,-

(a) in sub-rule (4), at all the places where they occur, for the words "payment advice", the words "payment order" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), after the words "application for refund", the words "on the basis of a consolidated payment advice" shall be inserted;

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) The Central Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (4).

(d) in sub-rule (5), for the words " an advice", the words "a payment order" shall be substituted.

Amendment in Rule 94

12. In the said rules, in rule 94, with effect from a date to be notified later, for the words "payment advice", the words "payment order" shall be substituted.

Insertion of new Rule

13. In the said rules, after rule 95, with effect from the 1st day of July, 2019, the following rule shall be inserted, namely: -

95A. **Refund of taxes to the retail outlets established in departure area of an international Airport beyond immigration counters making tax free supply to an outgoing international tourist-**

(1) Retail outlet established in departure area of an international airport, beyond the immigration counters, supplying indigenous goods to an outgoing international tourist who is leaving India shall be eligible to claim refund of tax paid by it on inward supply of such goods.

(2) Retail outlet claiming refund of the taxes paid on his inward supplies, shall furnish the application for refund claim in FORM GST RFD-10B on a monthly or quarterly basis, as the case may be, through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(3) The self-certified compiled information of invoices issued for the supply made during the month or the quarter, as the case may be, along with concerned purchase invoice shall be submitted along with the refund application.

(4) The refund of tax paid by the said retail outlet shall be available if-

(a) the inward supplies of goods were received by the said retail outlet from a registered person against a tax invoice;

(b) the said goods were supplied by the said retail outlet to an outgoing international tourist against foreign exchange without charging any tax;

(c) name and Goods and Services Tax Identification Number of the retail outlet is mentioned in the tax invoice for the inward supply; and

(d) such other restrictions or conditions, as may be specified, are satisfied.

(5) The provisions of rule 92 shall, mutatis mutandis, apply for the sanction and payment of refund under this rule.

Explanation- For the purposes of this rule, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

Amendment in Rule 128

14. In the said rules, in rule 128,-

(a) in sub-rule (1), after the words "receipt of a written application," the words "or within such extended period not exceeding a further period of one month for reasons to be recorded in writing as may be allowed by the Authority," shall be inserted;

(b) in sub-rule (2)-

i. after the words "All applications from interested parties on issues of local nature" the words, "or those forwarded by the Standing Committee" shall be inserted;

ii. after the words "the State level Screening Committee and the Screening Committee shall," the words "within two months from the date of receipt of a written application, or within such extended period not exceeding a further period of one month for reasons to be recorded in writing as may be allowed by the Authority," shall be inserted.

Amendment in Rule 129

15. In the said rules, in rule 129, in sub-rule (6), for the word "three" used in the phrase "shall complete the investigation within a period of three months", the word "six" shall be substituted.

Amendment in Rule 132

16. In the said rules, in rule 132, in sub-rule (1), before the words "Director General of Anti-profiteering" the word "Authority," shall be inserted.

Amendment in Rule 133

17. In the said rules, in rule 133,-

(a) in sub-rule (1), for the word "three" the word "six" shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(2A)The Authority may seek the clarification, if any, from the Director General of Anti Profiteering on the report submitted under sub-rule (6) of rule 129 during the process of determination under sub-rule (1).

(c) in sub-rule (3), in clause (c), after the words "fifty per cent. of the amount determined under the above clause", the words "along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of the higher amount till the date of deposit of such amount" shall be inserted;

(d) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(5)(a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), where upon receipt of the report of the Director General of Anti-profiteering referred to in sub-rule (6) of rule 129, the Authority has reasons to believe that there has been contravention of the provisions of section 171 in respect of goods or services or both other than those covered in the said report, it may, for reasons to be recorded in writing, within the time limit specified in sub-rule (1), direct the Director General of Anti-profiteering to cause investigation or inquiry with regard to such other goods or services or both, in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(b) The investigation or enquiry under clause (a) shall be deemed to be a new investigation or enquiry and all the provisions of rule 129 shall mutatis mutandis apply to such investigation or enquiry.

Amendment in Rule 138

18. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (10),-

(a) in the Table, in column (3),against serial no. 1 to serial no. 4, after the words "Over Dimensional Cargo", the words "or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship" shall be inserted;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the validity of the e-way bill may be extended within eight hours from the time of its expiry.

Amendment in Rule 138E

19. In the said rules, in rule 138E, in sub-clause (a),-

(a) after the words "being a person paying tax under section 10" the words and figures "or availing the benefit of notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8 No. 281/2019 /4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2 dated the 09th April, 2019," shall be inserted;

(b) for the word "returns" the words, letters and figures "statement in **FORM GST CMP-08**" shall be substituted;

(c) for the words "tax periods" the word "quarters" shall be substituted.

Amendment in FORM GST REG-01

20. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, in the Table appended to "List of Documents to be uploaded", against serial no. 4, in the heading, after the words "Bank Account Related Proof", the words ", where details of such Account are furnished:" shall be inserted.

Amendment in FORM GST REG-07

21. In the said rules, in **FORM GST REG-07**, in **PART-B**, after entry 12, the following entry shall be inserted, namely:-

"12A. Details of Bank Accounts (s) [Optional]

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	

Details of Bank Account 1

Account Number															
Type of Account							IFSC								
Bank Name															
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)														

Note-Add more bank accounts".

Amendment in FORM GST REG-12

22. In the said rules, in **FORM GST REG-12**, after entry 12, the following entry shall be inserted, namely:-

"13. Details of Bank Accounts (s) [Optional]

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	

Details of Bank Account 1

Account Number		
Type of Account		IFSC
Bank Name		
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)	

Note-Add more bank accounts".

Amendment in FORM GSTR-4 23. In the said rules, for FORM GSTR-4, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GSTR-4

[See rule 62]

Return for financial year of registered person who has opted for composition levy or availing benefit of notification No. 281/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CTR-2 dated the 09th April, 2019

Year	

1.		GSTIN	
2.	(a)	Legal name of the registered person	<Auto>
	(b)	Trade name, if any	<Auto>
3.	(a)	Aggregate turnover in the preceding Financial Year (Auto populated)	
	(b)	ARN	<Auto>(after filing)>
	(c)	Date of ARN	<Auto>(after filing)>

4. Inward supplies including supplies on which tax is to be paid on reverse charge

GSTIN of supplier	Invoice details			Rate	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/UT)
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State Tax	CESS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A. Inward supplies received from a registered supplier (other than supplies attracting reverse charge)										
4B. Inward supplies received from a registered supplier (attracting reverse charge)										
4C. Inward supplies received from an unregistered supplier										
4D. Import of service										

5. Summary of self-assessed liability as per FORM GST CMP-08

(Net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)

Sr. No.	Description	Value	Amount of tax			
			Integrated tax	Central tax	State tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Outward supplies (including exempt supplies)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
2.	Inward supplies attracting reverse charge including import of services	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
3.	Tax paid (1+2)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
4.	Interest paid, if any	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>

6. Tax rate wise details of outward supplies / inward supplies attracting reverse charge during the year

(Net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)

Sr. No.	Type of supply(Outward/ Inward)	Rate of tax (%)	Value	Amount of tax			
				Integrated tax	Central tax	State tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
		Total		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>

7. TDS/TCS Credit received

GSTIN of Deductor / e-commerce operator	Gross Value	Amount	
		Central Tax	State Tax
1	2	3	4

8. Tax, interest, late fee payable and paid

Sr. No.	Type of tax	Tax amount payable (As per table 6)	Tax Amount already paid (Through FORM GST CMP-08)	Balance amount of tax payable, if any (3-4)	Interest payable	Interest paid	Late fee payable	Late fee paid
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Integrated tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>				
2.	Central tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>				
3.	State tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>				
4.	Cess	<Auto>	<Auto>	<Auto>				

9. Refund claimed from Electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details (Drop Down)						

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Place Name of Authorised Signatory

Date Designation /Status

Instructions:-

1. Terms used:
   (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
   (b) TDS: Tax Deducted at Source
   (c) TCS : Tax Collected at Source
2. The details in **FORM GSTR-4**, for every financial year or part thereof, should be furnished till the thirtieth day of April following the end of such financial year.
3. Aggregate turnover of the taxpayer for the immediate preceding financial year would be auto-populated.

4. Table 4 to capture information, on a consolidated basis, related to inward supplies, rate-wise, GSTIN wise:
   (i) Table 4A to capture inward supplies from registered supplier other than those attracting reverse charge;
   (ii) Table 4B to capture inward supplies from registered supplier attracting reverse charge;
   (iii) Table 4C to capture supplies from unregistered supplier;
   (iv) Table 4D to capture import of services.
5. Table 5 to capture details (and adjustments thereof) of outward supplies (including exempt supplies) and inward supplies attracting reverse charge including import of services as declared earlier in **FORM GST CMP-08** during the financial year.

6. TDS/TCS credit received from deductor/e-commerce operator would be auto-populated in Table 7."

Amendment in FORM GSTR-9

24. In the said rules, in **FORM GSTR-9**-

(a) in the Table, in serial no. 8, in column 2, in row C, for the words and figures "to September, 2018", the figures and word "2018 to March 2019" shall be substituted;

(b) in the Table, in Pt. V, in column 2,in the heading, for the words and letters "previous FY declared in returns of April to September of current FY or upto date of filing of annual return of previous FY whichever is earlier", the letters, figures and words "FY 2017-18 declared in returns between April 2018 till March 2019" shall be substituted;

(c) in instructions, serial no. 3 shall be omitted;

(d) in instructions, in serial no. 4, after the sentence ending with "declared in this part.", the following words, letters and figures shall be inserted, namely:-
"It may be noted that additional liability for the FY 2017-18 not declared in **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** may be declared in this return. However, taxpayers cannot claim input tax credit unclaimed during FY 2017-18 through this return.

(e) In the instructions, in serial no. 5, in the Table, in column 2,-
   (i) against serial no. 8A, after the words, letters and figures "corresponding suppliers in their **FORM GSTR-1**.", the following words, letters and figures shall be inserted, namely:-

"It may be noted that the **FORM GSTR-2A** generated as on the 1st May, 2019 shall be auto-populated in this table.";

(ii) against serial no. 8C, for the words "to September 2018", the figures and words "2018 to March 2019" shall be substituted;

(f) in the instructions, in serial no. 7,-

(i) for the words, letters, brackets and figures "of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier", the words and figures "between April 2018 to March 2019" shall be substituted;

(ii) in the Table, in column 2-

(A) against serial no. 10 & 11, for the words "to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier", the figures and words "2018 to March 2019" shall be substituted;

(B) against serial no. 12, for the words "to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier", the figures and words "2018 to March 2019" shall be substituted;

(C) against serial no. 13, for the words "to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year whichever is earlier", the figures and words"2018 to March 2019" shall be substituted.

Amendment in FORM GST PMT–07

25. In the said rules, after **FORM GST PMT–07**, with effect from a date to be notified later, the following form shall be inserted, namely:-

FORM GST PMT –09

[See rule 87(13)]

Transfer of amount from one account head to another in electronic cash ledger

1.	GSTIN	

2.	(a) Legal name	<Auto>
	(b) Trade name, if any	<Auto>
3.	ARN	
4.	Date of ARN	

5. Details of the amount to be transferred from one account head to another
(Amount in Rs.)

Amount to be transferred from			Amount to be transferred to		
Major head	Minor head	Amount available	Major Head	Minor head	Amount transferred
1	2	3	4	5	6
<Central tax, State tax, Integrated tax, Cess>	Tax		<Central tax, State tax, Integrated tax, Cess>	Tax	
	Interest			Interest	
	Penalty			Penalty	
	Fee			Fee	
	Others			Others	
	Total			Total	

6. Verification
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place — Signature
Name of Authorized Signatory

Date — Designation /Status

Instructions -
1. Major head refers to - Integrated tax, Central tax, State tax and Cess.
2. Minor head refers to – tax, interest, penalty, fee and others.
3. The form may be filled up if amount from one major / minor head is intended to be transferred to another major/minor head. Minor head for transfer of amount may be same or different.
4. The amount from one minor head can also be transferred to another minor head under the same major head.
5. Amount can be transferred from the head only if balance under that head is available at the time of transfer.

Amendment in FORM GST RFD-05

26. In the said rules, in **FORM GST RFD-05**, with effect from a date to be notified later-
(a) in Line 3 for the word "Advice", the word "order" shall be substituted;
(b) in Line 4 for the word "Advice", the word "order" shall be substituted;

(c) in Line 6, for the words and letters "To <Centre>PAO/ Treasury/ RBI/ Bank", the words and letters "To PAO, CBIC" shall be substituted.

Amendment in FORM GST RFD-10

27. In the said rules, after FORM GST RFD - 10, with effect from the 1st day of July, 2019, the following form shall be inserted, namely:-

FORM GST RFD-10 B

[See rule 95A]

Application for refund by Duty Free Shops/Duty Paid Shops (Retail outlets)

1. GSTIN:

2. Name:

3. Address:

4. Tax Period (Monthly/Quarterly) : From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>

5. Amount of Refund Claim: <INR><In Words>

6. Details of inward supplies of goods received and corresponding outward supplies:

DETAILS OF SUPPLIES															
Inward Supplies												Corresponding outward supplies			
GSTIN of supplier	Invoice details				Rate	Taxable value	Amount of tax					Invoice details			
	No / Date,	HSN Code	Qty.	Value			Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess		No. / Date	HSN Code	Qty.	Taxable Value

7. Refund applied for:

Central Tax	State Tax	Integrated Tax	Cess	Total
<Total>	<Total>	<Total>	<Total>	<Total>

8. Details of Bank Account:

i. Bank Account Number

ii. Bank Account Type

iii. Name of the Bank

iv. Name of the Account Holder/Operator

v. Address of Bank Branch

vi. IFSC

vii. MICR

9. Declaration:

I _______ as an authorized representative of __________(Name of Duty Free Shop/Duty Paid Shop – retail outlet) hereby solemnly affirm and declare that,-

(i) refund has not been claimed against any of the invoices in respect of outward supplies submitted with this application.

(ii) the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date: Signature of Authorized Signatory:

Place: Name:

Designation / Status

Instructions:

1. Application for refund shall be filed on monthly/quarterly basis depending upon the frequency of furnishing of return by retail outlets.
2. Application shall be made in respect of one inward supply invoice only once. Therefore, it is advised that refund shall be applied only for those inward supply invoices the goods received against which have been completely supplied.
3. Applicant should ensure that all the invoices declared by him have the GSTIN of the supplier and the GSTIN of the respective Duty Free Shop /Duty Paid Shop (retail outlet) clearly marked on them.
4. Documents to be attached with the refund application:
   a) Undertaking that all indigenous goods on which refund is being claimed have been received by the Duty-Free Shop/Duty Paid Shop (retail outlet);
   b) Undertaking that the indigenous goods have been sold to eligible outgoing international tourist;
   c) Copy of the returns for the period for which application is being filed.

".

Amendment in FORM GST DRC-03 28. In the said rules, for FORM GST DRC-03, the following FORM shall be substituted, namely:–

"FORM GST DRC- 03

[See rule 142(2) & 142 (3)]

Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement

1.	GSTIN	
2.	Name	<Auto>

3.	Cause of payment	<<drop down>> Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)	
4.	Section under which voluntary payment is made	<<drop down>>	
5.	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue	Reference No.	Date of issue
6.	Financial Year		
7.	Details of payment made including interest and penalty, if applicable (Amount in Rs.)		

Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Others	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. Reasons, if any - << Text box>>

9. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory

Name

Designation / Status

Date –

23 जुलाई, 2019 ई0

उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (छठा कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019

संख्या 572/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON-06—उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबन्धित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई है;

अतः अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 है।

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "30 जून, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.572/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON-06,** dated Dehradun, July 23, 2019 for general information:

July 23, 2019

UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (SIXTH REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

No. 572/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/ON-06--WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act, No. 06 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayersas a result where of, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provision of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor, on recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following Order, to remove the difficulties, namely:-

1- Short title--This Order may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2-In section 44 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 in the Explanation, for the figures, letters and word "30th June, 2019", the figures, letters and word "31st August, 2019" shall be substituted.

अधिसूचना

23 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 573/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-11—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की करमुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर के रिफण्ड के लिए हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 573/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-11**, dated July 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

July 23, 2019

No. 573/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CTR-11--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 55 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to specify retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable central tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation-For the purposes of this notification, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

02 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 1312/तीन–44/रा0प0/2018–19—बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की के पत्र संख्या 322/पे0का0, दिनांक 14 फरवरी, 2019 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–4 की उपधारा (1) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–3741/सी0एच0आई0ई0–454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शा0 सं0–228/XVIII(3)2018-4(26)2017, दिनांक 25 जून, 2019 के अनुपालन में मैं, बाल मयंक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थलीसैंण में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी।

विज्ञप्ति

02 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 1313/तीन–44/रा0प0/2018–19—बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरिद्वार स्थान रुड़की के पत्र संख्या 322/पे0का0, दिनांक 14 फरवरी, 2019 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–4 की उपधारा (2) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–3741/सी0एच0आई0ई0–454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या–228/XVIII(3)2018-4(26)2017, दिनांक 25 जून, 2019 के अनुपालन में मैं, बाल मयंक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थलीसैंण के नीचे अनुसूची में उल्लिखित गांवों में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील	जिला
1.	ग्वीन मल्ला	बीरोंखाल	थलीसैंण	पौड़ी गढ़वाल

बी0एम0 मिश्र,
संचालक चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून

आदेश

14 मई, 2019 ई0

संख्या एस0टी0/एस0एस0पी0–03/याता0 व्य0/2019—एतद्द्वारा सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था, दुर्घटना नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत देहरादून शहर के विभिन्न मार्गों पर अनियमित एवं अनियंत्रित रूप से संचालित ई–रिक्शा वाहनों का संचालन सीमित किये जाने हेतु तकनीकी एवं वैद्यानिक अध्ययन हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून, पुलिस अधीक्षक, (यातायात) देहरादून, नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून की समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत ई–रिक्शा वाहनों का देहरादून शहर के निम्नवत् स्थानों/मार्गों पर संचालन प्रतिबन्धित किये जाने की संस्तुति की गयी है :—

1. घण्टाघर, रेलवे स्टेशन, आई0एस0बी0टी0, परेडग्राउण्ड से दिन के समय प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक।

2. इसके अतिरिक्त निम्नवत् मुख्य मार्गों पर भी प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालन प्रतिबन्धित करने की संस्तुति की गयी है :–

- घण्टाघर से–प्रेमनगर तक वाया चकराता रोड़–किशननगर चौक–बल्लूपुर चौक।
- घण्टाघर से–आईएसबीटी तक वाया रेलवे स्टेशन–सहारनपुर चौक–लालपुल।
- घण्टाघर से–जोगीवाला तक वाया आराघर–धर्मपुर–रिस्पनापुल।
- घण्टाघर से–जाखन वाया राजपुर रोड़–दिलाराम बाजार।
- घण्टाघर से–लाडपुर वाया परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–सहस्रधारा क्रॉसिंग।
- रिस्पना से–आईएसबीटी तक वाया कारगीचौक।
- शिमला बाईपास–से बड़ोवाला पुल तक वाया मेहूवाला–तेलपुर चौक।

अतः समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–180 के उपनियम–1 में प्रदत्त अधिकारों के तहत मैं निवेदिता कुकरेती कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून उपरोक्त स्थानों/मार्गों पर प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक ई–रिक्शा वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित करने का आदेश देती हूँ।

उक्त प्रतिबन्ध अधिसूचना/गजट नोटिफिकेशन होने एवं सम्बन्धित स्थानों/मार्गों पर तद्नुसार सूचना पट्ट प्रदर्शित किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

निवेदिता कुकरेती कुमार,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

26 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1783/पंजीयन निरस्त/2019–20–वाहन संख्या UK03TA1092 (MOTOR CAB) मॉडल 2016 चैचिस MA3EUA61S00882520 इंजन नं0 F8DN5648807 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त सोराड़ी मकान नं0–11 ग्राम–गूम तहसील पाटी जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20–04–2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26–06–2019 को वाहन संख्या UK03TA1092 (MOTOR CAB) मॉडल 2016 चैचिस MA3EUA61S00882520 इंजन नं0 F8DN5648807 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

26 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1784 / पंजीयन निरस्त / 2019—20—वाहन संख्या UP29-0321 (MPV) मॉडल 1999 चैचिस 386045ARQ800991 इंजन नं0 497D21AQQ702242 इस कार्यालय अभिलेखानुसार प्रज्ञा भारती विद्यालय निवासी नायकगोठ पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 17—06—2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26—06—2019 को वाहन संख्या UP29-0321 (MPV) मॉडल 1999 चैचिस 386045ARQ800991 इंजन नं0 497D21AQQ702242 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

27 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1788 / पंजीयन निरस्त / 2019—20—वाहन संख्या UA04C4088 (LGV) मॉडल 2005 चैचिस 53G83099 इंजन नं0 BG54G28941 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री राहुल पुत्र श्री जगदीश निवासी मकान संख्या 0189 कैनाल कालौनी बनबसा, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 07—06—2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27—06—2019 को वाहन संख्या UA04C4088 (LGV) मॉडल 2005 चैचिस 53G83099 इंजन नं0 BG54G28941 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

28 जून, 2019 ई0

पत्रांक 1792 / पंजीयन निरस्त / 2019—20—वाहन संख्या UP033863 (HGV) मॉडल 1999 चैचिस 73043DQQ003732 इंजन नं0 692D21CQQ42195 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री उदय प्रकाश सिंह निवासी—वार्ड नम्बर 03 पुरानी बैराज मोड शारदा स्टोन क्रेशर टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 17—06—2019 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28—06—2019 को वाहन संख्या UP033863 (HGV) मॉडल 1999 चैचिस 73043DQQ003732 इंजन नं0 692D21CQQ42195 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

18 जुलाई, 2019 ई0

पत्रांक 1844/पंजीयन निरस्त/2019–20–उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या 1788/पंजीयन निरस्त/2019–20 दिनांक 27 जून, 2019 द्वारा UA04C4088 (LGV) मॉडल 2005 चैचिस 53G83099 इंजन नं0 BG54G28941 वाहन स्वामी श्री राहुल पुत्र श्री जगदीश, निवासी मकान संख्या 0189 कैनाल कॉलौनी बनबसा, चम्पावत के नाम पंजीकृत थी का पंजीयन निरस्त किया गया था जिसमें त्रुटिवश वाहन संख्या गलत अंकित किया गया था।

अतः उक्त वाहन संख्या UA04C4088 (LGV) को संशोधित संख्या UA04C4048 समझा जाय।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/358–भाग 1–क 2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।